03/8/2023 आज यह पेश हुई। वादी उप०। वादी का मूल 09 R 05 मे खारिज हो चुका है। इस लिए यह पत्रावली को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। अत! यह पत्रावली भी इसी स्तर पर (09 R 05 मे) तामील के अभाव मे खारिज की जाती है। पत्रावली फौरन शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद प्रति दाखिल दफ्तर होने मूल वाद के साथ संलग्न रहे।